फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री केसरसिंह **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 74/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट को ही जवाब के रूप में माना जाने का निवेदन किया, पृथक से जवाब नहीं देना चाहा। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम केशुसिंह पिता हरीसिंह राजपुत गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में केशुसिंह एवं केसरसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 26.12.2019 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में केशुसिंह दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम केसरसिंह पिता हरीसिंह राजपूत अंकित है। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2019 का भी प्रस्तुत किया जिसमें भी ग्राम पंचायत द्वारा केशुसिंह उर्फ केसरसिंह पिता हरीसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम केसरसिंह होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 46, 180, 1098, 1100, 1104, 1108, 1176, 1178, 1180, 1186, 1188, 1196, 1230, 1327, 1328, 758, 1190, 1105 भूमि में खातेदार केशुसिंह पिता हरिसिंह के बजाय केशुसिंह उर्फ केसरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested